संख्या-62/2024/2912/22-2-2023-17(1525)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 जून, 2024

विषयः-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार आनन्द पुत्र श्री गुलशन आनन्द, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-808/प्रो0/214/पार्ट-3, दिनांक 06.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार आनन्द पुत्र श्री गुलशन आनन्द, पूर्वी दीक्षिताना कस्बा व थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.11.2005 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैट्रोल पम्प को सील करने की रंजिश के कारण रायफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सैल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मंजूनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302।149, 201, 120बी, 411 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 16 वर्ष 06 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा पैट्रोल पम्प सील करने की रंजिश को लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सैल्स ऑफिसर की हत्या व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर समग्र समाज के विरूद्ध किया गया जघन्य अपराध है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा एवं जनहित प्रभावित होगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018 दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018 दिनांक 28 जुलाई, 2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018 दिनांक 27 मई, 2022 के प्रस्तर-1 एवं 12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार आनन्द पुत्र श्री गुलशन आनन्द की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार आनन्द (बन्दी संख्या-48531) पुत्र श्री गुलशन आनन्द, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-62/2024/2912(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।